[2025] 6 एस.सी.आर. 422 : 2025 आईएनएससी 689

मैसर्स हरचरण दास गुप्ता
बनाम
भारत संघ
(सिविल अपील क्रमांक 6807/2025)
14 मई 2025
[न्यायमूर्ति पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा* और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची]

विचारणीय मुद्दा

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले एक मामले में, क्या उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दिल्ली मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित ठहराने में त्रुटि की कि याचिकाकर्ता-आपूर्तिकर्ता (दिल्ली स्थित) तथा प्रतिवादी (बेंगलुरु आधारित) के बीच अनुबंध में मध्यस्थता का स्थान बेंगलुरु निर्धारित किया गया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006 – धारा 18(4) – मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 – एमएसएमईडी अधिनियम का मध्यस्थता अधिनियम पर प्रबल प्रभाव – एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत मामलों में मध्यस्थता का स्थान:

अभिनिर्धारित: धारा 18(4), एमएसएमईडी अधिनियम, आपूर्तिकर्ता के स्थान वाली सुविधा परिषद को मध्यस्थता का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है – पक्षकारों के बीच निजी समझौता वैधानिक प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकता – अतः, पक्षकारों के बीच समझौता एमएसएमईडी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों द्वारा निरस्त हो जाता है – याचिकाकर्ता-आपूर्तिकर्ता-एमएसएमई दिल्ली स्थित है तथा अतः दिल्ली सुविधा परिषद ने अपनी शक्ति के प्रयोग में दिल्ली मध्यस्थता केंद्र

* लेखक

के संस्थागत संरक्षण के माध्यम से मध्यस्थता आयोजित करने का कार्य सौंपा – विवादित आदेश रद्द – दिल्ली मध्यस्थता केंद्र के संरक्षण में मध्यस्थता कार्यवाही पुनर्स्थापित। [अनुच्छेद 2, 9, 10, 11, 13]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

गुजरात राज्य सिविल सप्लाईज निगम लिमिटेड बनाम महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड [2022] 19 SCR 1094 : (2023) 6 SCC 401 – भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006; मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996।

प्रमुख शब्दों की सूची

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006 की धारा 18(4); सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले मामले; मध्यस्थता का स्थान; एमएसएमईडी अधिनियम का मध्यस्थता अधिनियम पर प्रबल प्रभाव; सुविधा परिषद; आपूर्तिकर्ता के स्थान पर अधिकार क्षेत्र; आपूर्तिकर्ता का स्थान; पक्षकारों के बीच निजी समझौता; एमएसएमईडी अधिनियम; एमएसएमई; पक्षकारों के बीच समझौता वैधानिक प्रावधानों द्वारा निरस्त; दिल्ली मध्यस्थता केंद्र; संस्थागत संरक्षण; मध्यस्थता कार्यवाही पुनर्स्थापित; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो); एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता; स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 6807 सन् 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के डब्ल्यूपी संख्या 27269 सन् 2023 में दिनांक 22.04.2024 के निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता:

श्रीमती प्रिया कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती रेणुका अरोड़ा, निशांत कुमार।

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता:

विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी., अभिषेक सिंह, राघव शर्मा, ईशान शर्मा, सी.के. शर्मा, श्रीमती अर्चना शूर्वे शिंदे, डॉ. एन. विसाकामूर्ति।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा

1. विलंब क्षम्य, अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 1 को अनुमत किया गया है तथा यह निर्णय दिया गया है कि दिल्ली मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता कार्यवाही प्रबंधित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी के बीच अनुबंध में मध्यस्थता का स्थान बेंगलुरु निर्धारित किया गया है। आगे दिए जाने वाले कारणों एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (विकास) अधिनियम, 2006[2] के मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996[3] पर प्रबल प्रभाव के दृष्टिकोण से, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य सिविल सप्लाईज निगम लिमिटेड बनाम महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड[4] में पुष्टि की गई है, हमने अपील को अनुमत किया है तथा दिल्ली मध्यस्थता केंद्र के संरक्षण में मध्यस्थता

1 रिट याचिका संख्या 27269 ऑफ 2023 (जीएम-आरईएस)।

2 इसके बाद इसे 'एमएसएमईडी अधिनियम' कहा जाएगा।

कार्यवाही को पुनर्स्थापित किया है। हम पहले उन तथ्यों का उल्लेख करेंगे जो मुद्दे के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं।

3. यहाँ प्रतिवादी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), जो बेंगलुरु स्थित है, ने दिनांक 16.01.2017 के टेंडर नोटिस[5] द्वारा नई दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु बोलियाँ आमंत्रित कीं। याचिकाकर्ता, जो एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है, का चयन किया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना के निष्पादन हेतु दिनांक 11.09.2017 का समझौता हुआ।

4. पक्षकारों के बीच कुछ विवादों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता ने एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दिल्ली स्थित सुविधा परिषद का अधिकार क्षेत्र आह्वान किया। धारा 18 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में, सुविधा परिषद ने दिनांक 30.03.2022 को प्रतिवादी को सुलह हेतु नोटिस जारी किया, किंतु प्रतिवादी ने उक्त कार्यवाही में भाग लेने से इंकार कर दिया। प्रतिवादी के असहयोग के परिणामस्वरूप सुविधा परिषद ने एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत विवाद को मध्यस्थता हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया। चूंकि मध्यस्थता दिल्ली मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से संस्थागत रूप से आयोजित की जानी थी, केंद्र ने आगे बढ़ते हुए दिनांक 28.05.2022 के नोटिस द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की।

5. मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 08.06.2022 को प्रारंभ हुई तथा दिनांक 26.09.2023 के आदेश द्वारा मध्यस्थ ने दावा याचिका को रिकॉर्ड पर लिया तथा प्रतिवादी को चार सप्ताह के भीतर अपना बचाव विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बचाव विवरण प्रस्तुत करने के बजाय, प्रतिवादी ने अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दिल्ली मध्यस्थता केंद्र द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने तथा दिल्ली में

3. इसके बाद इसे 'मध्यस्थता अधिनियम' कहा जाएगा।

4 (2023) 6 एससीसी 401.

5 ई-टेंडर सूचना संख्या सीएमजी/आईएसआरओ-मुख्यालय/ईटी/सीसी 11/2016-17.

मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने को चुनौती दी। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.12.2023 को पार्टे एक्स आदेश पारित कर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अंततः, हमारे समक्ष विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए घोषणा की कि सुविधा परिषद, दिल्ली के अनुरोध पर दिल्ली मध्यस्थता केंद्र अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि यह पक्षकारों के बीच समझौते के विरुद्ध है।

6. दिनांक 11.09.2017 के समझौते के विशिष्ट शर्तों के दृष्टिगत, धारा 25 एवं 25क में विवादों के निपटारे का प्रावधान करते हुए, यह सहमत हुआ था कि मध्यस्थता का स्थान बेंगलुरु होगा। संविदात्मक धाराओं के दृष्टिगत, उच्च न्यायालय ने दिल्ली मध्यस्थता केंद्र द्वारा आयोजित कार्यवाही तथा मध्यस्थता को अधिकारहीन ठहराया, तथा अतः अवैध एवं विधि के विरुद्ध घोषित किया।

7. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती प्रिया कुमार तथा प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान ए.एस.जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी की दलीलों को सुना है।

8. हमने दोनों पक्षकारों की दलीलों पर चिंतनपूर्ण विचार किया है। हमारे अनुसार, यह मुद्दा अब पुनर्विचार का विषय नहीं है तथा महाकाली मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा आवृत है। चूंकि हमें बाध्यकारी न precedent के प्रासंगिक भागों का उल्लेख करने के अतिरिक्त कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इस निर्णय का तर्क तथा निष्कर्ष यहाँ तत्काल संदर्भ हेतु उद्धृत किया जा रहा है। प्रारंभ में, निम्नलिखित दो अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं जिसके आधार पर न्यायालय यह धारणा करता है कि एमएसएमईडी अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम पर प्रबल है।

> *"42. इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 सामान्यतः मध्यस्थता एवं सुलह के विधि का शासन करता है, जबकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 विशिष्ट प्रकार*

के विवादों का शासन करता है जो विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटारा विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विशिष्ट मंच द्वारा किया जाना है। अतः, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 एक विशेष विधि होने के कारण तथा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 एक सामान्य विधि होने के कारण, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे या प्रबल होंगे। सिल्पी इंडस्ट्रीज मामले [सिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल एसआरटीसी, (2021) 18 एससीसी 790 : 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 439] में भी, इस न्यायालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(3) के अनुसार प्रारंभ की गई मध्यस्थता कार्यवाही में रखरखाव तथा प्रतिदावा के संबंध में मुद्दे पर विचार करते हुए यह अवलोकन किया था कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 एक विशेष विधान होने के कारण जो एमएसएमई की रक्षा हेतु विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान हेतु वैधानिक तंत्र निर्धारित करता है, उक्त अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर प्रबल होगा जो एक सामान्य विधान है। यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 को भी विशेष विधि माना जाए, तब भी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का बाद में समय बिंदु पर अर्थात् 2006 में अधिनियमित होना, इसका प्रबल प्रभाव होगा, विशेष रूप से एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 के दृष्टिगत जो अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों को वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रभाव प्रदान करती है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 भी सम्मिलित है।

43. न्यायालय धारा 18 की उपधारा (1) एवं (4) में निहित विशिष्ट गैर-अवरोधक खंडों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिनका प्रभाव वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रबल है। जब 2006 में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया जा रहा था, विधायिका को पूर्व अधिनियमित मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का ज्ञान था, तथा अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि

विधायिका ने सचेत रूप से एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारंभ सुलह प्रक्रिया के विफल होने पर तथा जब स्वयं सुविधा परिषद विवादों को मध्यस्थता हेतु ग्रहण करती है या किसी संस्था या केंद्र को ऐसी मध्यस्थता हेतु प्रेषित करती है, उस चरण पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवादों पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 18(3) में "जैसे कि" शब्दावली का प्रयोग कर एक कानूनी काल्पनिकता उत्पन्न की गई है, जिसके उद्देश्य से ऐसी मध्यस्थता को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (1) में उल्लिखित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में मान लिया जाता है। जैसा कि के. प्रभाकरन बनाम पी. जयराजन [के. प्रभाकरन बनाम पी. जयराजन, (2005) 1 एससीसी 754 : 2005 एससीसी (क्रि) 451] में निर्णय दिया गया है, एक कानूनी काल्पनिकता उन तथ्यों की अवस्था की पूर्वधारणा करती है जो वास्तव में अस्तित्व में न हो तथा फिर उन तथ्यों की अवस्था से उत्पन्न परिणामों को कार्यान्वित करती है। <u>इस प्रकार, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के समग्र उद्देश्य, विषयवस्तु एवं योजना तथा उसमें प्रयुक्त स्पष्ट अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को कोई संकोच नहीं है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अध्याय V के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव रखते हैं।"</u>

9. इसके अतिरिक्त, न्यायालय यह निर्णय देता है कि पक्षकारों के बीच समझौता भी एमएसएमईडी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों द्वारा निरस्त हो जाता है:

44.खरीदारों के अधिवक्ताओं की ओर से यह तर्क कि धारा 18 की उपधारा (1) में "समझौता" शब्द का सचेत रूप से छोड़ा जाना, जो अन्यथा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 में उल्लिखित है, यह निहित करता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अंतर्गत पक्षकारों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रविष्ट मध्यस्थता समझौते को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 के प्रावधानों

द्वारा निरसित करने का इरादा नहीं था, यह भी स्वीकार्य नहीं है। पक्षकारों के बीच निजी समझौता वैधानिक प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकता। एक बार जब धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत वैधानिक तंत्र किसी पक्षकार द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो यह पक्षकारों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रविष्ट किसी अन्य समझौते पर प्रबल होगा, धारा 18 की उपधारा (1) एवं (4) में निहित गैर-अवरोधक खंडों के दृष्टिगत। धारा 15 से 23 के प्रावधानों का भी प्रबल प्रभाव है जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 में वर्णित है जब वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में असंगत कुछ निहित हो। यह नकारा नहीं जा सकता कि विधि की व्याख्या करते समय, यदि दो व्याख्याएँ संभव हों, तो अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ाने वाली व्याख्या को अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने वाली व्याख्या से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि खरीदारों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किया जाए कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवाद के पक्षकार पक्षकारों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता विद्यमान होने पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(1) के अंतर्गत उपलब्ध उपचार का लाभ नहीं ले सकता, तो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का अधिनियमन करने का समस्त उद्देश्य विफल हो जाएगा।

45....

46. अतः यह तर्क कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रविष्ट स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के वैधानिक प्रावधानों पर प्रबल होगा, स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (1) एक सक्षम प्रावधान है जो धारा 17 के अंतर्गत कवर विवाद के पक्षकार को सुविधा परिषद के समक्ष जाने का विकल्प प्रदान करता है, भले ही पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता विद्यमान हो। उक्त प्रावधान में "समझौता" शब्द की अनुपस्थिति को न तो विधि में छूटे हुए मामले के रूप में व्याख्या किया जा सकता है तथा न ही धारा 17 के अंतर्गत कवर विवाद के पक्षकार

को पक्षकारों के बीच विद्यमान मध्यस्थता समझौते के आधार पर सुविधा परिषद के समक्ष जाने से रोके जाने के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। वास्तव में, यह उक्त प्रावधान के अंतर्गत पक्षकार के पक्ष में सृजित एक पर्याप्त अधिकार है। अतः यह निर्णय दिया जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अंतर्गत कवर विवाद का कोई पक्षकार केवल इस आधार पर कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता विद्यमान है, धारा 18(1) के अंतर्गत सुविधा परिषद को संदर्भित करने से रोका नहीं जाएगा।

47. उपर्युक्त विधिक स्थिति खरीदारों के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्कों को भी समाप्त कर देती है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(2) के अंतर्गत सुलहकर्ता के रूप में कार्य कर चुकी सुविधा परिषद स्वयं विवाद को मध्यस्थता हेतु ग्रहण नहीं कर सकती तथा मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यद्यपि यह सत्य है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 80 में एक प्रतिबंध है कि सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के विषय विवाद के संबंध में किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा, उक्त प्रतिबंध एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 सहित धारा 24 में निहित प्रावधानों द्वारा निरसित हो जाता है। जैसा कि पूर्व में निर्णय दिया गया है, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अध्याय V में निहित प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव रखते हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान सुविधा परिषद द्वारा आयोजित कार्यवाही पर केवल तब लागू होंगे जब परिषद द्वारा धारा 18(2) के अंतर्गत प्रारंभ सुलह प्रक्रिया विफल हो जाती है तथा परिषद स्वयं विवाद को मध्यस्थता हेतु ग्रहण करती है या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18(3) के अंतर्गत ऐसी मध्यस्थता हेतु किसी संस्था या केंद्र को प्रेषित करती है।

48. जब सुविधा परिषद या संस्था या केंद्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, तो उसके पास प्रेषित विवादों का निर्णय लेने की समस्त शक्तियाँ होंगी जैसे कि ऐसी मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (1) में उल्लिखित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में हो, तथा तब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के समस्त प्रावधान ऐसी मध्यस्थता पर लागू होंगे। यह कहना अनावश्यक है कि ऐसी सुविधा परिषद/संस्था/केंद्र मध्यस्थता अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियुक्त किसी अन्य मध्यस्थता अधिकरण की भाँति अपनी अधिकार क्षेत्र पर निर्णय देने में सक्षम होगी, जैसा कि उसकी धारा 16 में वर्णित है।

10. एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत कवर सभी मामलों में 'मध्यस्थता का स्थान' संबंधी मुद्दा **महाकाली** मामले में इस न्यायालय के उच्चारण के दृष्टिगत निपटाया गया है। यह स्थिति एमएसएमईडी अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान, अर्थात् धारा 18 की उपधारा (4) के गुण से भी सत्य है, जो आपूर्तिकर्ता के स्थान वाली सुविधा परिषद में मध्यस्थता हेतु अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

"(4) वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कुछ भी परिप्रेक्ष्य में, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद निपटान सेवाएँ प्रदान करने वाला केंद्र इस धारा के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित आपूर्तिकर्ता एवं भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र रखेगा।"

11. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता-एमएसएमई दिल्ली स्थित है तथा अतः सुविधा परिषद, (दक्षिण-पश्चिम), जीएनसीटीडी, पुराना टर्मिनल टैक्स भवन, कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037। अपनी शक्ति के प्रयोग में, उक्त परिषद ने दिल्ली मध्यस्थता केंद्र के संस्थागत संरक्षण के माध्यम से मध्यस्थता आयोजित करने का कार्य सौंपा। हमारे द्वारा निकाले गए

निष्कर्ष वैधानिक व्यवस्था का तार्किक परिणाम हैं जैसा कि महाकाली में इस न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है।

12. श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान ए.एस.जी. प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय का निर्णय किसी भी प्रकार से उनके पक्षकार द्वारा मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष वैध रूप से उठाए जाने वाले किसी भी अधिकार या तर्क को पूर्वाग्रहित न करे। स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हम विद्वान मध्यस्थ को निर्देश देते हैं कि पक्षकारों को विधि द्वारा अनुमत सभी विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्न उठाने एवं तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

13. उपर्युक्त दृष्टिगत, हम वर्तमान अपील को अनुमत करते हैं तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 27269 सन् 2023 (जीएम-आरईएस) में दिनांक 22.04.2024 को पारित विवादित आदेश को रद्द करते हैं तथा मध्यस्थता कार्यवाही के आयोजन एवं समापन का निर्देश देते हैं।

14. इन निर्देशों के साथ, सिविल अपील का निपटारा किया जाता है। लागत संबंधी कोई आदेश नहीं होगा।

मामले का परिणाम: अपील अनुमत।

†शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडेय द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।